

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत
दूरभाष :- 05966-220035 फैक्स :- 05966-220035 ई-मेल cdpwdrkt@gmail.com

पत्रांक 1962 /18सी.

दिनांक, रानीखेत, 17/8/ 2015

सेवा में,


प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :- कुनीगाड़-हिरुली बाजार से रामपुर-चौखुटिया मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव सं. 8986/2014)।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 1450/12-1(2) दिनांक 12.8.2015

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1668/18सी. दिनांक 21.7.15 द्वारा आपत्तियों का निराकरण विन्दुवार किया गया था सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

संलग्न :-पत्रानुसार।


अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

दूरभाष :- 05966-220035 फैक्स :- 05966-220035 ई-मेल cdpwdrkt@gmail.com

पत्रांक 1668 /18सी.

दिनांक, रानीखेत, 21/7/ 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :- कुनीगाड़-हिरुली बाजार से रामपुर-चौखुटिया मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव सं. 8986/2014)।


संदर्भ :- आपका पत्रांक 723/12-1(2) दिनांक 20.7.2015

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में विन्दुवार आख्या निम्नवत है :-

1. डिजिटल मैप संलग्न है।
2. अन्तिम विन्दु रामपुर-कुनीगाड़ मोटर मार्ग के किमी. 3.00 (ग्राम भनोटिया) है।
3. आन लाईन प्रस्ताव को बिना EDS में लौटये हुए अतिरिक्त सूचनाओं का नाम लिखा जाना सम्भव नहीं है।
4. संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रभावित होने वाली भूमि वन पंचायत दर्शायी गयी है, जो भाग-2 में आपके स्तर से ही ठीक की जानी है।
5. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के मानचित्र में अंशान्तर एवं देशान्तर अंकित कर दिये गये है।
6. आपके स्तर से ही प्रस्ताव की संस्तुति की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आख्या अपने स्तर से नोडल अधिकारी, देहरादून को आन लाईन के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :-पत्रानुसार।


अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत